

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : १५१० / वाद सी-0420 / एस-8 / 2023

दिनांक: 6/8, 2024

सेवा में,

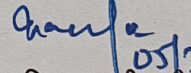
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

विपक्षी मै0 तनुज फैविरिकेशन स्थल 866 कौलागढ रोड देहरादून द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा (14) में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन एवं मंजूरी लिए विना स्थल पर लगभग 10 गुणा 25 क्षेत्रफल पर टीन शैड से दुकान का निर्माण किया गया है। स्थल पर कोई भी स्वीकृति मानचित्र नहीं दिखाई गई है। अनाधिकृत निर्माण निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ तथा कार्य रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं0 सी-0420 / एस-8 / 2023 योजित किया। उक्त चालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12/7/24 को सील किया जाना है।

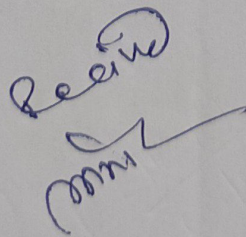
अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

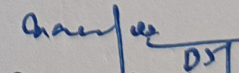
भवदीय,


अधिशाली अभियन्ता / पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

- प्रतिलिपि:-1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में सीलिंग कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समस्त सहायक अभियन्ताओं / अवर अभियन्ताओं / अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स) / समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में सीलिंग कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एवं सीलिंग से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।






अधिशाली अभियन्ता / पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।